

**खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय,
HEC अभियंत्रण छात्रावास सं0-02, धुर्वा, राँची।**

संचिका सं0-खा0उप0नि0-01-विविध-43/17 1248

प्रेषक,

सुनील कुमार सिन्हा,
निदेशक ।

सेवा में,

सिटिजन्स एक्शन ग्रुप,
मकान सं0- सी0/294, रोड नं0-1 ए0,
अशोकनगर, राँची-834002

राँची, दिनांक : 19.12.17

विषय:-

झारखण्ड उपभोक्ता जागरूकता पुरस्कार (सर्वोत्तम उपभोक्ता जागरूकता संस्था) प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस (24.12.2017) पर आयोजित होने वाले कार्यशाला में उपस्थित होने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा वर्ष 2017 के लिए झारखण्ड उपभोक्ता जागरूकता पुरस्कार (सर्वोत्तम उपभोक्ता जागरूकता संस्था) हेतु आपके संस्थान का चयन किया गया है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस (24.12.2017) पर आयोजित होने वाले कार्यशाला में माननीय विभागीय मंत्री द्वारा आपके संस्था को पुरस्कृत किया जायेगा। कार्यशाला हेतु आयोजन स्थल एवं समय निम्नवत है :-

आयोजन स्थल - होटल बी0 एन0 आर0 चाणक्या,
(राँची रेलवे स्टेशन के नजदीक), राँची।

तिथि एवं समय - दिनांक- 24.12.2017 समय 10.00 बजे पूर्वाह्न से

अतः अनुरोध है कि झारखण्ड उपभोक्ता जागरूकता पुरस्कार प्राप्ति हेतु आयोजन स्थल पर ससमय उपस्थित होने की कृपा की जाय।

विश्वरूपाभाजन

(सुनील कुमार सिन्हा)
निदेशक ।